

10-AUG-2025

वधता दिनांक:

10-AUG-2025

प्र. क्र. 4

रु. 75171/-

(नियम 22, 23 तथा 24 (1) के अन्तर्गत)
नगरपरिषद हनुमानगढ़ रसीद

श्री म. जी आर ग्लोबल अकडमी बुक नं. 4466
रुपये शब्दों में 75 हजार द्वादश एड सो डवहत्तर के मात्र
कारण 75/71 फायल रोड पर 1000/- के प्रमाण पत्र शुल्क

से अवधि NEFT 29/08 - 18/08/25 के लिए
निम्न मांग के भुगतान स्वरूप/पूर्ण/अंशतः प्राप्त किये।

प्रसंग मांग संग्रण पंजिका का क्रमांक

प्रग्रामी योग रु. 75171/-
दिनांक

विपत्र संख्या

दिनांक 18/08/25

आयुक्त

नगर परिषद, हनुमानगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

क्र-7398

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 18/08/25

आवेदन नं.: LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2025-26/57751
जारी दिनांक: 18-AUG-2025 वैधता दिनांक: 17-AUG-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SUSHMA POONIA
आवेदक का पता: GR GLOBAL ACADEMY KENCHIYA NH 62 SGNR SURATGARH ROAD

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन G R GLOBAL ACADEMY, 01, NH 62 SGNR SURATGARH ROAD, KENCHIYA, , HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Mohammed Yunas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: HANUMANGARH, Rajasthan
Date: 18/08/2025 13:05:51

अग्निशमन अधिकारी
महो अग्नि शमन अधिकारी
नगर परिषद, हनुमानगढ़
नगरपरिषद, हनुमानगढ़